उत्तराखंड को साम्प्रदायिकता की भट्टी में जाने से बचाना है

क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा, हरियाणा

ख़ूबसूरत उत्तराखंड को, फासिस्ट भाजपाई और उनका ज़हरीला कुनबा, फिरकापरस्ती की भट्टी में झोंकने पर उतारू है। उनकी हिमाक़त, नंगई और जुर्रत दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। 'देवभूमि रक्षा अभियान' धर्म संसद के नाम पर ये असली 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' ने, पूरे मुस्लिम समाज को जेहादी क़रार देते हुए, 15 मार्च से पहले, अपनी दुकानें और मकान ख़ाली करने की खुली धमकी दी थी। हम पहले भी इसी तरह की कई 'धर्म संसदें' देख चुके हैं; उत्तराखंड सरकार और पुलिस, इन हिन्दुत्ववादी ज़ेहादियों के विघटनकारी ज़हरीले अजेंडे को मदद ही करते नज़र आते है। अब तक उन्होंने, बस यही किया ह। 20 जून को भी उनका एक और विषाक्त जमावड़ा प्रस्तावित है।

चंद धन-पशु लुटेरों, गुंडों, बलात्कारियों की ताबेदार भाजपा सरकार और उनका कुनबा, न संविधान की परवाह कर रहे हैं और ना इस देश की गंगा-जमुनी तेहज़ीब की। इनका असल एजेंडा; भयंकर कंगाली, अभूतपूर्व बेरोज़गारी और आकाश-फाड़ मंहगाई में पिसते जा रहे, और उसके परिणामस्वरूप, गोलबंद होते जा रहे, मज़दूरों और मेहनतक़श किसानों की एकता को खंडित करना और उन्हें मज़हबी ज़हालत की अंधेरी कोठरी में धकेलकर, सारा देश, अडानी-अम्बानियों को अर्पित करना है। इस प्रक्रिया में देश अगर टूटता है, तो भी इन्हें परवाह नहीं। फ़ासीवादी हमला दिनोंदिन तीखा होता जा रहा है। ये 'इंडियन नाज़ी', एक-एक कर हर तबक़े को निशाने पर लेने वाले हैं।

कुछ न्यायप्रिय लोगों ने मज़हबी जहालत फैलाने और उत्तराखंड को हिन्दू-मुस्लिम आग की भट्ठी में झोंकने के इन प्रस्तावित कार्यक्रमों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल उसे रोकने का हुक्म सुनाने की बजाए, यह कहकर खारिज़ कर दिया कि उत्तराखंड उच्च न्यायलय जाइए। हमारा तजुर्बा बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को रोकने में नाकाम रही है।

सर्वोच्च अदालत, संविधान की रक्षक है; मात्र ऐसा दिखना चाहती है, लेकिन उसके लिए कोई भी कड़ा, निर्णायक क़दम लेने से बचती आई है। फासिस्ट गिरोह का हौसला, अदालतों की इन्हीं नाकामियों ने बढ़ाया है। 'नरसंहार' का खुला आह्वान करने वाले, जेलों में नहीं बल्कि अपने अड्डों पर, ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि अपने काम में लगे हुए है। इस ख़ूनी तमाशे को चुपचाप बैठकर देखना या आंखें फेर लेना, अक्षम्य अपराध होगा।

क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा, देश की सभी इंसाफ़ पसंद, प्रगतिशील, जनवादी एवं वामपंथी शक्तियों को, इस फ़ासीवादी हमले का विरोध करने के लिए, इकठ्ठा होने, संयुक्त मोर्चा बनाकर, सड़कों पर सशक्त आन्दोलन खड़ा करने का आह्वान करता है। हम फ़रीदाबाद, हरियाणा और एनसीआर में ही नहीं, बल्कि देशभर के सभी क्रांतिकारी संगठनों से इस दिशा में पहल करने और बिना वक़्त गंवाए क्रियाशील होने का आह्वान करते हैं।

हम इस विषय पर, पम्फलेट द्वारा, फ़रीदाबाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य इलाक़ों में जहाँ तक भी हम पहुँच पाएँगे, हर मज़दूर बस्ती, कारखानों, औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक जन-जागरण का अभियान, चलाएंगे। साथ ही फ़रीदाबाद डीसी कार्यालय पर मोर्चा, जन-सभा कर, डी सी की मार्फ़त, माननीय राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध हैं। समय व तारीख साथियों से चर्चा कर जल्दी ही सूचित की जाएगी।

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या- 451102010004150

IFSC Code : UBIN0545112

Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

राजद्रोह क़ानून की ज़रूरत क्यों ?

सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में जिस राजद्रोह क़ानून की दफा 124ए पर रोक लगा दी थी अब मोदी सरकार की मेहरबानी से ला कमीशन के चेयरमैन बने कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि राजद्रोह कानून खत्म करने से देश की सिक्योरिटी और सलामती (सुरक्षा और अखंडता) पर संगीन उल्टा असर पड़ सकता है। ऋतुराज अवस्थी ने ही कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से कर्नाटक सरकार के जरिए मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर पाबंदी लगाए जाने के फैसले पर मोहर लगाई थी। ला कमीशन की सिफारिश से यह सवाल पैदा हो गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों के मुकाबले हाई कोर्ट से ही रिटायर हो जाने वाले एक जज की राय की कितनी अहमियत है।

ला कमीशन ने मोदी सरकार की मंशा के मुताबिक ही सिफारिश की है, मोदी सरकार किसी भी कीमत पर राजद्रोह का कानून जारी रखना चाहती है। यह भी एक तल्ख हकीकत है कि मोदी सरकार के नौ सालों में राजद्रोह कानून, दहशतगर्दी मुखालिफ कानून यूएपीए और ईडी का जितने बड़े पैमाने पर बेजा इस्तेमाल किया गया है उतनी बड़ी सतह पर इन कवानीन का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ है। यह कानून लागू रहने तक इसके तहत कुसूरवार ठहराए गए किसी शख्स को तीन साल से उम्र कैद तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते थे, अब ला कमीशन के चेयरमैन अवस्थी ने इस कानून के तहत तीन साल के बजाए कम से कम सात साल की सजा दिए जाने की सिफारिश की है।

ला कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी इस काले कानून के लिए इतने उतावले हो गए कि उन्होंने कम से कम सजा को तीन साल से बढाकर सात साल करने की सिफारिश के साथ यह भी सिफारिशात कर दीं कि बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी मुल्जिम बनाए गए शख्स की होनी चाहिए और राजद्रोह का मामला किसी भी शख्स की नीयत खराब होने पर भी कायम किया जाना चाहिए। मतलब यह कि पुलिस किसी के खिलाफ यह कहकर भी मुकदमा दर्ज कर सकेगी कि मुल्जिम की नीयत (इंटेनशन) सरकार मुखालिफ थी।

राजद्रोह का मतलब है सरकार में बैठे लोगों की मुखालिफत करना, उनके खिलाफ मजामीन लिखना और उनकी तनकीद (आलोचना) करना यह कानून अंग्रेजों ने भारत की आजादी चाहने वालों के खिलाफ नाफिज किया था। अब मुल्क में राजशाही नहीं है चुनी हुई सरकारें होती हैं और चुनी हुई सरकारों की कमियों की निशानदेही करने, उनके खिलाफ बयान देने और उनकी तनकीद करने का संवैधानिक हक हर शहरी को हासिल है। इन बातों का कोई लेना-देना देश की सिक्योरिटी से नहीं है इसके बावजूद रिटायर्ड जस्टिस अवस्थी ने अपनी सिफारिश में लिख दिया कि देश की सिक्योरिटी और सालमियत (अखण्डता) के लिए इस कानून को जारी रखना जरूरी है। जस्टिस अवस्थी ने इस ख्याल से यह सिफारिशात की हैं कि शायद अब कयामत तक मोदी की ही सरकार रहेगी।

राजद्रोह कानून सत्रहवीं सदी में इंग्लैण्ड में बनाया गया था। कानून में कहा गया था कि सरकार के लिए अच्छी राय रखने वाले ख्यालात को ही जाहिर करने का हक लोगों को मिलेगा, क्योंकि गलत राय सरकार और राजशाही के लिए मनफी (नकारात्मक) असर पैदा कर सकती है। भारत में न राजशाही है न यहां के हुक्मरां के खिलाफ किसी किस्म की राय जाहिर करने पर पाबंदी है। इस कानून का मसविदा 1837 में थामस मैकाले ने तैयार किया था। अंग्रेज हुकूमत ने 1860 में इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) लागू की तो जेम्स स्टीफन ने आईपीसी में राजद्रोह की दफा 124(ए) दस साल बाद 1870 में शामिल करा दी। तभी से आईपीसी में राजद्रोह की दफा 124(ए) का इस्तेमाल हो रहा है। अंग्रेजों ने भारत में इस कानून का इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कम्पनी की ज्यादतियों के खिलाफ बोलने वालों को कानूनी तौर पर फंसाने की गरज से शुरू किया था। 1947 में देश आजाद हो गया, देश का नया संविधान बन गया, बेशुमार पुराने कानून खत्म करके नए कानून बनाए गए लेकिन राजद्रोह का कानून अब तक की किसी सरकार ने खत्म करना मुनासिब नहीं समझा बल्कि सभी सरकारों ने इसका गलत इस्तेमाल किया।

आजादी के बाद से 1970 तक इस कानून का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ हुआ। उस दौरान पुलिस वाले किसी भी मुसलमान को पाकिस्तानी ख्याल का बताकर इस कानून के तहत गिफ्तार कर लेते थे। 1970 के बाद 2014 तक राजद्रोह कानून का इस्तेमाल बहुत कम हुआ लेकिन नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद इस कानून का इस्तेमाल फिर ज्यादा शुरू हुआ। एक बार फिर इस कानून का शिकार मुसलमान ही बने।

अब ला कमीशन ने जो सिफारिश इस कानून को सख्त बनाने के लिए की है वह पहले से काफी ज्यादा सख्ती वाली हैं पुराने कानून के मुताबिक सरकार के खिलाफ जबानी, तहरीरी इशारों या तस्वीरों के जरिए राय जाहिर करने के अमल को इस कानून के तहत जुर्म समझा जाता था। अब जस्टिस अवस्थी साहब ने सिफारिश की है कि अगर सरकार में बैठे लोगों के खिलाफ कोई शख्स इंटेशन (इरादा) भी रखता है तो उसके खिलाफ दफा 124(ए) के तहत राजद्रोह का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए और इसकी कम से कम सजा तीन साल से बढाकर सात साल से उम्र कैद तक होनी चाहिए। सवाल यह है कि अगर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की सिफारिश मंजूर करके सरकार इस कानून को और सख्त बना देगी तो पुलिस या कोई सरकारी एजेंसी किसी की नीयत और इरादे का पता कैसे लगाएगी? फिर तो यह कानून जंगल के कानून जैसा हो जाएगा, पुलिस जिसे चाहेगी सरकार के खिलाफ नीयत और इरादा करने का इल्जाम लगाकर उसे गिरफ्तार कर लेगी।

इन्हीं ज्यादतियों से बचने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में बलवंत सिंह बनाम पंजाब स्टेट मामले में अपने फैसले में कहा था कि किसी की तकरीर को राजद्रोह करार देने से पहले यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या उसने किसी सरकारी ओहदेदार के खिलाफ नफरत फैलाने, उससे दुश्मनी जाहिर करने और उसकी तौहीन करने की कोशिश की है। कानून के मुताबिक राजद्रोह का मुल्जिम न तो सरकारी नौकरी हासिल कर सकता है और न ही पासपोर्ट। हमारा संविधान दफा 19(2) के जरिए तमाम शहरियों को अपनी राय जाहिर करने सरकार के खिलाफ तकरीर करने और सरकार में बैठे लोगों पर तनकीद (आलोचना) करने का हक देता है। ऐसे में राजद्रोह जैसे कानून का क्या जवाज (औचित्य) है। हमें यकीन है कि जिस तरह मई 2022 से सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर अमल से रोक लगा रखी है उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ला कमीशन की सिफारिशात मंजूर करने से सरकार को रोकेगा।

-जदीद मरकज